प्रेस नोट–110/2026
दिनांक 22.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.02.2026 को थाना दुद्धी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमवार तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सूरज कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना दुद्धी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दुद्धी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सूरज कुमार निवासी घिवही थाना विंढमगंज जनपद सोनभद्र।

<u>बरामदगी</u>

1–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.02.2026 को थाना सादाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैनपुर बंबा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मुकेश कुमार उर्फ गब्बर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सादाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकेश कुमार उर्फ गब्बर निवासी समदपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद अमेठी/थाना अमेठी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 47 हजार 400 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.02.2026 को थाना अमेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–सचिन कुमार 2–सिराजुद्दीन उर्फ

लकी 3–धीरज को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 47 हजार 400 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.02.2026 को थाना अमेठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अमेठी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन कुमार निवासी ग्राम तुलापुर कोडरी थाना व जनपद अमेठी।

2–सिराजुद्दीन उर्फ लकी निवासी लोनियापुर थाना व जनपद अमेठी।

3–धीरज निवासी लोनियापुर थाना व जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–लूट के 47 हजार 400 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद गोण्डा/थाना वजीरगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 21 हजार 450 रूपये नगद**
- **चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद**

दिनांक 22.02.2026 को थाना वजीरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुर्जनपुर घाट के पास से 03 अभियुक्तों 1–रामकृपाल 2–जगदम्बा 3–विवेक कुमार उर्फ बच्चन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 21 हजार 450 रूपये नगद, चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13/14.02.2026 को थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त रामकृपाल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, अमेठी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामकृपाल निवासी बबया, रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

2–जगदम्बा निवासी बरजोतपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

3–विवेक कुमार उर्फ बच्चन निवासी बनघुसरा थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1–चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 21 हजार 450 रूपये नगद।

3–चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

प्रेस नोट–111 / 2026
दिनांक 22.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण एवं सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पतंग डोरी के भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर रोक लगाये जाने के संबंध में चलाये गये अभियान से सम्बन्धित विवरण।

माननीय उच्च न्यायालय/एन०जी०टी०/उ०प्र० शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में समय-समय पर चाइनीज मॉझे के निर्माण, भण्डारण एवं सिंथेटिक मॉझे/शीशा लेपित नायलॉन पतंग डोरी के भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते रहें है। विगत सप्ताह इस हेतु चलाये गये विशेष अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-

- अभियान के अन्तर्गत 117 गोदामों एवं 11,899 दुकानों को चेक किया गया।
- अभियान के अन्तर्गत की गयी चेकिंग में भारी मात्रा में अवैध सिंथेटिक मॉझा/शीशा लेपित नायलान पतंग डोरी की बरामदगी की गई, जिसका अनुमानित मूल्य रू0- 1,93,960/- है।
- इस अभियान के अन्तर्गत कुल 14 अभियोग पंजीकृत किये गये है।
- अभियान के दौरान पंजीकृत अभियोगों में 13 व्यक्ति नामजद तथा 01 व्यक्ति प्रकाश में आया है। कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
- प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्त एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपदों को इसकी बिक्री पर रोक लगाने हेतु कड़े निर्देश निर्गत किये गये जा चुके है।

————